(SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) On 28 May, 1990, India proposed a Package of Confidence Building Measures to Pakistan. Pursuant to this, five rounds of Foreign Secretary level talks have been held so far. Another round of these talks is proposed to be held soon.

(c) These talks have covered the entire gemut of bilateral issues between the two countries.

हुकुम चन्द मिल लिमिटेड, इंदौर का बंद किया जाना

@*276. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अचानक बंद कर दी जाने वाली किसी भी टेक्सटाइल मिल के मजदूरों को केंद्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि इंदौर स्थित हुकुम चन्द मिल लिमिटेड को बी० आई० एफ० आर० द्वारा परिसमापन के आदेश जारी कर दिये जाने पर अचानक बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो उस मिल के मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) केन्द्रीय सरकार मिल को क्या सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि मिल के प्रवर्तक गायब हैं और मिल के मजदूरों को उन्हें देय राशियों का भुगतान नहीं हो रहा है; और

(ङ) क्या टेक्सटाइल मजदूरों को राष्ट्रीय कपड़ा निधि से भुगतान किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (ङ) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में उन मिलों के कामगारों के लाभ के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना की स्थापना की गई है जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ओ) के अंतर्गत औपचारिक रूप से बन्द की गई हैं अथवा एकक को समाप्त करने की प्रक्रिया के दौरान कंपनी अधिनियम, 1976 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा एक सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की गई है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ० आर०) ने 11 सितम्बर, 1991 को मैसर्स हुकुम चंद मिल्स, इंदौर को समाप्त करने का निर्णय लिया था क्योंकि उसके लिए पुनर्स्थापना पैकेज व्यावहारिक नहीं पाया गया था। उसके बाद बैंकों ने बैंकिंग प्रचालन बंद कर दिया और सूचना के अनुसार 9 दिसम्बर, 1991 से मिल को बन्द कर दिया गया। मिल ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण संबंधी अपील प्राधिकारी (ए०ए०आई० एफ०आर०) को एक अपील दायर की है। इस समय यह मिल वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अंतर्गत राहत पाने की पात्र नहीं है क्योंकि न तो यह औपचारिक रूप से बंद की गई है और न ही सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की गई है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार निजी प्रबंधक इन्दौर से अदृश्य हो गए हैं। तथापि, श्रम न्यायालय के आदेश पर कामगारों को मिल के तैयार माल की बिक्री के बाद नवंबर, 1991 तक के वेतन अदा कर दिए गए हैं।

तथापि, सरकार ने किसी राष्ट्रीय वस्त्र निधि की स्थापना नहीं की है।

@पूर्वतः तारांकित प्रश्न 236, 12 मार्च, 1992 से स्थानान्तरित।

Setting up of Karnataka High Court bench at Dharwad

*277. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to establish a Bench of the Karnataka High Court at Dharwad; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI K. VIJAY BHASKARA REDDY): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन न किया जाना

*278. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जून, 1991 में तत्कालीन वस्त्र मंत्री द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम, भारतीय कपास निगम, राष्ट्रीय हथकरघा निगम और वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यों की जांच करने और इनके कार्यों में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए कुछ समितियां गठित की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन